बड़ौदा यू. पी. बैंक Baroda U.P. Bank

(Sponsored by Bank of Baroda)

प्रधान कार्यालय: बुद्ध विहार व्यवसायिक योजना, तारामण्डल, गोरखपुर 273016
क्षेत्रीय कार्यालय, नरई बांध, गृहस्त प्लाजा के पास, मऊ –275101

सार्वजनिक नीलामी

13.02.2025

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4)
(सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6 (2) और / या

नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2020 की धारा 13 (2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13 (2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू. पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) बंधककर्ता (ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रों) / गारंटीदाता (ओं) / बंधकदाता (ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और / या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद् द्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) बंधककर्ता (ओ) को सूचना दी जाती है है कि निम्नवर्णित अचल समपत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक प्रभारित पड़ी है, जिसका रचानात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को **''जैसा है जहां है, जैसा है जो है'' और ''जो है वही है''** आधार पर बेचा जाएगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओ) / बंधककर्ता (ओं) को एतद्द्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग संपत्ति जिसका विवरण नीचे वर्णित है, विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन न करें। प्रधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए खुली बोली आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/ बोलीदाताओं को दिनांक 13.02.2025 **बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय नरई बांध, गृहस्त प्लाजा के पास मऊ– 275101** में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

क्र. स.	ऋणी का नाम	सम्पत्ति का विवरण/ मालिक/बंधककर्ता का नाम	मांग सूचना तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रू0)	आरक्षित मूल्य (रू0) धरोहर राशि (रू0)
	शाखा: अमिला, खाता सं0. 515025010015190, 83120600000008				
1.	मेसर्स बब्लू कोल्डड्रिंक, प्रो0 रईश अहमद पुत्र अब्दुल कय्यूम। पता: ग्राम. झोंटपुर, पोस्ट. पनैल, मऊ। गारंटर: 1. मैमुन निशा पत्नी अब्दुल कयूम, पता: ग्राम. झोंटपुर, पोस्ट. पनैल, मऊ, 2–जाकिर हुसैन पुत्र अब्दुल माजिद, पता: ग्राम–झोंटपुर, पोस्ट. पनैल, मऊ।	मैमुन निशा पत्नी अब्दुल कयूम के नाम पर संपत्ति, खाता संख्या–128, गाटा संख्या–31, क्षेत्रफल–0.062 हेक्टेयर, मौजा–झोंटपुर, जिला–मऊ में स्थित है। चौहद्दी: उत्तर: उमेश गुप्ता की जमीन, दक्षिण: रोड, पूर्व: अहाता मैमुन निशा, पश्चिम: राम विलास चौहान की जमीन।	26.04.2023 21.08.2023 सांकेतिक कब्जा	Rs. 5,54,485.03/- Interest Since 06.04.2023 + उस पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज एवं लागत, शुल्क एवं खर्चे	19,53,000/- 1,95,300/-
	शाखा: घोसी, खाता सं0. 515235010060313, 515236110050591				
2.	मेसर्स आराधना ट्रेडर्स प्रो. राहुल पुत्र रामजी ठठेर, प्रो0 . ग्राम. मौरभोज, पोस्ट. मौरभोज, जमालमिर्जापुर, घोसी, मऊ। गारंटर: 1–राजमणि पत्नी रामजी ठठेर, पता: ग्राम–मौरभोज, पोस्ट– मौरभोज, जमालमिर्जापुर, घोसी, मऊ, 2–अरविंद कुमार पुत्र देवनाथ, पता ग्राम–मौरभोज, पोस्ट– मौरभोज, जमालमिर्जापुर, घोसी, मऊ।	राजमणि पत्नी रामजी ठठेर के नाम पर संपत्ति, प्लॉट नंबर–204ख, क्षेत्र–32.77 कारी, ग्राम. मौरभोज, घोसी, जिला. मऊ में स्थित है। चौहद्दी: उत्तर: रास्ता, दक्षिण: सहन और मकान इंद्रपाल सिंह, पूर्व: रास्ता, पश्चिम: राजमणि का मकान।	15.10.2022 30.12.2022 सांकेतिक कब्जा	Rs. 14,17,618/- Interest Since 27.09.2023 + उस पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज एवं लागत, शुल्क एवं खर्चे	11,06,000/- 1,10,600/-
	शाखा: रघौली, खाता सं0. 515205010053175				
3.	मैसर्स अनुष्का ट्रेडर्स, प्रो0. विनय कुमार पुत्र रामजी। पता: ग्रामपोस्ट–मऊरभोज, घोसी, मऊ। गारंटर: 1–लक्ष्मण पुत्र रामजी, पता: ग्रामपोस्ट. मौरभोज, घोसी, मऊ, 2–विजय पुत्र रामजी। पता ग्राम–रामपुर धनौली पोस्ट. दोहरीघाट, मऊ।	1–लक्ष्मण पुत्र रामजी के नाम से संपत्ति, प्लॉट संख्या–501, क्षेत्रफल–330 वर्ग मीटर, ग्राम–मौरभोज, घोसी, जिला–मऊ में स्थित है। चौहद्दी उत्तर: रेस्ट सह हिस्सेदार की भूमि, दक्षिण: बालचंद की भूमि, पूर्व: राम नारायण की भूमि, पश्चिम: खरंजा रोड 2 मीटर चौड़ा। 2– संपत्ति विजय पुत्र रामजी के नाम, प्लॉट संख्या–501, क्षेत्रफल–300 वर्ग मीटर, ग्राम–मौरभोज, घोसी, जिला–मऊ में स्थित है। चौहद्दी: उत्तर: पुत्र त्रिभुवन सिंह, दक्षिण0: पुत्र लक्ष्मण आदि, पूर्व: पुत्र रामनारायण, पश्चिम: खरंजा रोड 2 मीटर चौड़ा।	14.07.2022 18.10.2022 सांकेतिक कब्जा	Rs. 15,63,366/- Interest Since 31.05.2023 + उस पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज एवं लागत, शुल्क एवं खर्चे	8,64,000/- 86,400/-
	शाखा: मिरजहादीपुरा, खाता सं0. 515294030000011				
4.	सावित्री पत्नी सुब्बा राजभर व सुब्बा राजभर पुत्र किशोरी राजभर। पता– ख्वाजाजहाँपुर, नवीन मण्डी के सामने, बलिया मोड़, मऊ। गारंटर: 1– बसंत कुमार पुत्र रामरतन, पता: ग्राम–नसोपुर, पोस्ट– उमापुर, जिला. मऊ, 2. रामसरीख पुत्र बनवारी, पता: 30, भीटी देहात (ककरीहार), जिला– मऊ।	सावित्री देवी पत्नी सुब्बा राजभर के नाम पर संपत्ति, दस्तावेज संख्या– 533, दिनांक– 29–01–2016, गाटा संख्या– 182, क्षेत्र– 13 कड़ी, मौजा– ख्वाजहाँपुर, नवीन मंडी के सामने, बलिया मोड़, तहसील– सदर, जिला– मऊ। चौहद्दी: उत्तर – पति सुब्बा, दक्षिण – पति निष्पादक, पूर्व – पिता निष्पादक, पश्चिम – रास्ता 12'.	13.06.2024 02.09.2024 सांकेतिक कब्जा	Rs. 4,74,533/- Interest Since 27.05.2024 + उस पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज एवं लागत, शुल्क एवं खर्चे	9,85,000/- 98,500/-
	शाखा: दोहरीघाट, खाता सं0. 515255010002140, 83350600000024				
5.	मेसर्स संतोषी कंप्यूटर्स प्रो0 संतोषी पांडेय पत्नी प्रमोद पांडेय। बिजनेस पता. बड़ौदा यूपी बैंक के ऊपर, दोहरीघाट शाखा, आवासीय पता–बहादुरपुर, दोहरीघाट, मऊ। गारंटर: 1– अविनाश चंद पुत्र नागेश्वर, 2– विनोद पांडेय पुत्र गोरखनाथ पांडेय सभी का पता. बहादुरपुर, दोहरीघाट, मऊ।	संतोषी पांडेय पत्नी प्रमोद पांडेय के नाम पर संपत्ति, दस्तावेज–1419, दिनांक– 25–10–2008, गाटा संख्या– 187, खाता संख्या–00103, रकबा– 28 कड़ी, स्थित– बहादुरपुर, परगना एवं तहसील– घोसी, मऊ। चौहद्दी. उत्तर– तारकेश्वर और अन्य, दक्षिण– त्रिवेणी, पूर्व– तारकेश्वर और अन्य, पश्चिम– खरंजा रास्ता।	14.06.2024 11.12.2024 सांकेतिक कब्जा	Rs. 8,29,642/- Interest Since 10.06.2024 + उस पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज एवं लागत, शुल्क एवं खर्चे	12,25,000/- 1,22,500/-
	शाखा: दोहरीघाट, खाता सं0. 515255010008156				
6.	मेसर्स राहुल बैटरी सर्विस प्रो0. नारद निषाद पुत्र फूलचंद, पता– मल्लहटोला, दोहरीघाट, मऊ। गारंटररू 1–रमावती देवी पत्नी नारद निषाद, पता. मल्लाहटोला, दोहरीघाट, मऊ, 2–मोहन पुत्र विधुन, पता. नवापुरा, दोहरीघाट, मऊ।	रामावती देवी पत्नी नारद निषाद के नाम पर संपत्ति, दस्तावेज संख्या– 1145 दिनांक– 25–05–2015, मकान संख्या– 238, क्षेत्रफल– 37.16 वर्ग मीटर दोहरीघाट, तहसील– घोसी में स्थित है। चौहद्दी: उत्तर– छोटेलाल का घर, दक्षिण– कपिल निषाद का घर, पूर्व– नगर क्षेत्र की गली, पश्चिम– डोमन सिपाही का घर।	14.02.2024 02.05.2024 सांकेतिक कब्जा	Rs. 17,81,467/- Interest Since 05.02.2024 + उस पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज एवं लागत, शुल्क एवं खर्चे	17,00,000/- 1,70,000/-
	शाखा: भींटी, खाता सं0. 515115010600168				
7.	मेसर्स गंगा प्लास्टिक सेंटर, प्रो0–पारसनाथ साहू पुत्र श्रीनाथ साहू। व्यावसायिक पता– एनएच–29 ब्रह्मस्थान पेट्रोल पंप के सामने, सहादतपुरा, मऊ, आवासीय पता 1– डॉ. योगेन्द्र वाली गली, एनएच–29 से पूरब, सत्येन्द्रनगर, मऊ, आवासीय पता. 2–हुसैनगंज, शाहगंज, जौनपुर। गारंटर: 1– आरती रानी पत्नी पारसनाथ साहू, पता– डा. योगेन्द्र वाली गली, एनएच–29 से पूरब, सत्येन्द्रनगर, मऊ, 2. रामविलास यादव पुत्र जंग बहादुर यादव, पता– बृजविहार कॉलोनी, ख्वाजहाँपुर, मऊ।	आरती रानी पत्नी पारसनाथ साहू के नाम पर संपत्ति, दस्तावेज–472, दिनांक– 25–01–2018, गाटा संख्या– 412 मीटर, खाता संख्या– 00240, क्षेत्रफल– 226.80 वर्गमीटर सहादतपुरा परगना तहसील–घोसी जिला–मऊ में स्थित है। चौहद्दी: उत्तर– शंभू सिंह एवं अन्य, दक्षिण– कच्चा रास्ता 12', पूर्व– पवन और अन्य, पश्चिम– विमला देवी और अन्य।	25.06.2024 26.09.2024 सांकेतिक कब्जा	Rs. 62,16,403.23/- Interest Since 21.06.2024 + उस पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज एवं लागत, शुल्क एवं खर्चे	91,62,000/- 9,16,200/-
	शाखा: अमिला, खाता सं0. 83120500000007				
8.	मेसर्स प्रियांशी गारमेंट्स, प्रोप–बृजेश सोनकर पुत्र रामअवध, पता. ग्राम, पोस्ट. बोझी, जिला. मऊ–275301. गारंटर: 1. पनवा देवी पत्नी रामअवध सोनकर, पता. बोझी बाजार, जिला.मऊ–275301, 2. वीरेंद्र यादव पुत्र रामअवध यादव, पता.ग्राम मुजार खुर्द, जिला. मऊ–275301.	संपत्ति श्रीमती पनवा देवी पत्नी राम अवध सोनकर के नाम पर, दस्तावेज संख्या–1593 दिनांक–27.07.2013, खाता संख्या–368, गाटा संख्या–71ख, क्षेत्रफल–40.33 वर्गमीटर, सबरहद बिरैचा, तहसील–घोसी में स्थित है। चौहद्दी. उत्तर–मुख्यालय रामअवध, दक्षिण–सड़क अमिला से बोझी, पूर्व–मुख्यालय सिधारी गुप्ता, पश्चिम–राजकुमार यादव	14.05.2024 23.07.2024 सांकेतिक कब्जा	Rs. 7,25,145/- Interest Since 09.05.2024 + उस पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज एवं लागत, शुल्क एवं खर्चे	27,12,000/- 2,71,200/-
	शाखा: घोसी, खाता सं0. 515235010060284				
9.	मेसर्स राहुल प्लास्टिक झूमर मशीन, प्रो0– राहुल कुमार पुत्र सुभाष चंद। पता– जमीन भीखमपुर, डाकघर– मिर्जा जमालपुर, तहसील– घोसी, जिला– मऊ, पिन– 275105. गारंटर: 1– श्री सुभा । चंद पुत्र श्यामलाल, पता: जमीन भीखमपुर, डाकघर– मिर्जा जमालपुर, तहसील.घोसी, जिला. मऊ, पिन– 275105. 2– श्रीमती सुधर्मी देवी पत्नी टिल्कू प्रजापति, पता. मोहम्मदाबाद, बरईपुर, मोहम्मदाबाद गोहना, मऊ। 3. प्रमोद प्रजापति पुत्र तिल्कू प्रजापति, पता. मोहम्मदाबाद, बरईपुर, मोहम्मदाबाद गोहना, मऊ।	संपत्ति श्रीमती सुधर्मी देवी पत्नी तिलकू प्रजापति के नाम पर, खाता संख्या 632, विक्रय पत्र–877, दिनांक 23–04–2015, सब रजिस्ट्रार–घोसी, प्लॉट संख्या. 1123, क्षेत्रफल–0.012 हेक्टेयर (121.50 वर्गमीटर), मौजा– जमालपुर मिर्जापुर, परगना एवं तहसील– घोसी, जिला– मऊ। चौहद्दी: उत्तर– जनार्दन और अन्य का प्लॉट, दक्षिण– घुरमारी और अन्य का प्लॉट, पूर्व– लेन (कच्चा रोड), पश्चिम– जय प्रकाश और अन्य का प्लॉट।	16.08.2024 07.11.2024 सांकेतिक कब्जा	Rs. 15,15,802/- Interest Since 10.06.2024 + उस पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज एवं लागत, शुल्क एवं खर्चे	32,56,000/- 3,25,600/-

ई–नीलामी की तिथि व समय – 13.02.2025 प्रातः 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक **ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 12.02.2025, सायं 04:00 बजे तक**

बिक्री के नियम एवं शर्तें:– 1. प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होगी और नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को अंतिम बोली राशि के ऊपर परस्पर बोली में उच्च बोली लगाने की अनुमति होगी। **2.** प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी। आरक्षित मूल्य के नीचे दी गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोली लगाने वाले रुपये की राशि **25,000/-** के गुणकों में अपनी बोलियां बढ़ाएंगे। **3.** अंतिम 5 मिनट में बोली प्राप्त होने की स्थिति में 5 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। बोलीदात्ताओं को लगातार ऊंची बोली लगाने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाएगा और यदि किसी बोलीदाता द्वारा अंतिम उच्चतम बोली के पांच मिनट की समाप्ति के बाद कोई उच्च बोली नहीं दी जाती है, तो नीलामी बंद कर दी जाएगी। **4.** इच्छुक बोलीदाताओं को मऊ में देय प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यूपी बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बोली राशि/ आरक्षित मूल्य की **10%** धरोहर राशि जमा करनी होगी। **5.** सफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी और असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। ईएमडी जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। **6.** सफल बोलीदाता को बोली राशि का **25%** (पच्चीस प्रतिशत) जमा करना होगा, जमा की गई ईएमडी राशि को घटाकर, उसी दिन या अगले कार्य दिवस को जमा करनी होगी और शेष राशि का भुगतान नीलामी दिनांक से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा तभी बिक्री की पुष्टि मानी जाएगी। **7.** निर्धारित 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि को बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और अधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई नीलामी बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और चूककर्ता बोलीदाता को जब्त राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। **8.** अगले कार्य दिवस पर बोली राशि का **25%** (ईएमडी घटाकर) भुगतान में चूक करने पर बिना किसी सूचना के बिक्री को रद्द कर दिया जायेगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी और कोई अन्य धनराशि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी। **9.** सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के तहत टीडीएस के अधीन होगा। **10.** समस्त विक्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाण पत्र जारी करेगा। खरीदार को बिक्री प्रमाण पत्र, पंजीकरण शुल्क, सरकार / किसी भी प्राधिकरण को देय सभी वैधानिक देय राशि, कर, जीएसटी और दरों और आउटगोइंग, संपत्तियों से संबंधित मौजूदा और भविष्य दोनों सहित स्टांप शुल्क वहन करना होगा। **11.** बिक्री प्रमाण पत्र में बोली में उल्लिखित नामों के अलावा अन्य नामों को शामिल करने/ बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम पर ही जारी किया जाएगा। **12.** बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी / डीआरएटी / उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थगन / निषेधाज्ञा / प्रतिबंध आदेश होने पर बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। **13.** यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु सबंधित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है। **14.** प्राधिकृत अधिकारी / बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को बुलाए बिना किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित / रद्द करने / बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है। **15.** प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों / देयताओं (यदि कोई हो) के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। बिड जमा करने के बाद किसी भी प्रकार की संपत्ति के बिक्री शुल्क / संपत्ति पर भार या किसी अन्य मामले आदि के संबंध में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। **16.** बिक्री सरफेसी अधिनियम 2002 में निर्धारित शर्तों / नियमों / प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और ऊपर उल्लिखित शर्तों के अधीन है। अधिक जानकारी के लिए कोई संभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो एसे उचित व्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनके वसूल किया जाएगा।

दिनांक 31.12.2024 **स्थान : मऊ** **प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक**